रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2015/भाद्र 17, 1937
No. 312] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2015/BHADRA 17, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई,8 सितम्बर, 2015

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2015

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2015-16/016 - *भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 और धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-*

1. इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2015 कहा जा सकेगा ।

2. वे 28 सितम्बर, 2015 को प्रवृत्त होंगे ।

3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 में -

i. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, –

(क) खंड (ङ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(ङ) "समाशोधन सदस्य" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (कङ) में यथा परिभाषित समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेम्बर) अभिप्रेत होगा; "

(ख) खंड (च) के पश्चात् और खंड (छ) से पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(चक) "कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज" से वह मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है जो केवल कमोडिटी व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्ज़) में क्रय, विक्रय या व्यौहार (डीलिंग) के कारबार में सहायता करता हो, को विनियमित करता हो या को नियंत्रित करता हो;"

(ग) खंड (झ) के पश्चात् और खंड (ञ) से पूर्व, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(झक) "राष्ट्रीय कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज" से वह कमोडिटी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव्ज़) एक्सचेंज अभिप्रेत है जिसका अपरस्परीकरण (डीम्यूचुअलाइजेशन) हुआ हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफॉर्म हो और जिसे उन सभी कमोडिटियों के व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्ज़) में क्रय, विक्रय या व्यौहार (डीलिंग) के कारबार में सहायता करने, को विनियमित करने या को नियंत्रित करने की अनुज्ञा (अनुमति) दी गई हो जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएँ;"

(घ) खंड (ण) के पश्चात् और खंड (त) से पूर्व, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(णक) "प्रादेशिक कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज" से वह कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज न हो;"

ii. विनियम 44ख के पश्चात् और विनियम 45 से पूर्व, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"**44ग.** कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज सम्मिलित है, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई नया खंड (सेगमेंट) शुरू नहीं करेगा।

44घ. कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंजों के प्रति लागू उपबंध (प्रावधान)

(1) प्रत्येक कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज इन विनियमों में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों हेतु निर्धारित उपबंधों (प्रावधानों) का अनुपालन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति से तथा समय-सीमाओं के भीतर, करेगा:

परंतु यह कि –

(क) कोई कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्षों से अनधिक की अवधि तक व्यापारों (ट्रेड्स) के समाशोधन (क्लीयरिंग) तथा निपटान (सेटलमेंट) हेतु मौजूदा व्यवस्था जारी रख सकेगा, और जब तक समाशोधन तथा निपटान के कृत्य किसी अलग समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कॉरपोरेशन) को अंतरित (ट्रांसफर) न कर दिए जाएँ, तब तक विनियम 7 के उप-विनियम (4) तथा विनियम 31, 39 एवं 44ख के उपबंध (प्रावधान) कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज के प्रति लागू रहेंगे, जैसे वे मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम के प्रति लागू होते हैं, उतने जितने वे लागू हों;

(ख) विनियम 29 के उप-विनियम (1) का खंड (ख) कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज के प्रति लागू नहीं होगा;

(ग) कोई भी कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज, बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा (अनुमति) के बिना, कमोडिटी व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्ज़) में क्रय, विक्रय या व्यौहार (डीलिंग) के कारबार में सहायता करने, को विनियमित करने या को नियंत्रित करने के क्रियाकलाप से भिन्न किसी क्रियाकलाप में नहीं लगेगा;

(घ) प्रत्येक राष्ट्रीय कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज निपटान (सेटलमेंट) से संबंधित शास्तियों (पेनल्टीज़) को अपनी निपटान गारंटी निधि (सेटलमेंट गारंटी फंड) में तथा अन्य शास्तियों (पेनल्टीज़) को अपनी निवेशक (विनिधानकर्ता) संरक्षण निधि (इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड) में जमा करेगा और प्रत्येक प्रादेशिक व्युत्पन्नी एक्सचेंज समस्त शास्तियों (पेनल्टीज़) को अपनी निपटान गारंटी निधि में जमा करेगा, ऐसे समय तक जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) प्रत्येक कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज व्यापारों (ट्रेड्स) के निपटान (सेटलमेंट) के लिए गारंटी सुनिश्चित करेगा, जिसमें सही सुपुर्दगी (गुड डिलीवरी) सम्मिलित है।"

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./69-जैडबी/15(202)]

पाद टिप्पण :

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/07/13546, 20 जून 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012, तत्पश्चात् 2 सितम्बर 2013 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2013-2014/21/6463, द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th September, 2015

SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) (STOCK EXCHANGES AND CLEARING CORPORATIONS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2015

No.SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/016.—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012, namely:—

1. These regulations may be called the Securities Contracts (Regulation)(Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2015.
2. They shall come into force on the 28th day of September, 2015.
3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012—
 i. in Regulation 2, in sub-regulation (1), -
 (a) for clause (e), the following shall be substituted, namely:-
 "(e) "clearing member" shall mean a clearing member as defined in clause (ae) of sub-regulation (1) of Regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992;"
 (b) after clause (f) and before clause (g), the following shall be inserted, namely,-
 "(fa) "commodity derivatives exchange" means a recognized stock exchange which assists, regulates or controls the business of buying, selling or dealing only in commodity derivatives."
 (c) after clause (i) and before clause (j), the following shall be inserted, namely,-
 " (ia) "national commodity derivatives exchange" means a commodity derivatives exchange that is demutualized, has an electronic trading platform and is permitted to assist, regulate or control the business of buying, selling or dealing in derivatives on all commodities as notified by the Central Government from time to time."
 (d) after clause (o) and before clause (p) the following shall be inserted, namely,-
 "(oa) "regional commodity derivatives exchange" means a commodity derivatives exchange which is not a national commodity derivatives exchange."
 ii. after Regulation 44B and before Regulation 45, the following shall be inserted, namely-

"**44C.** A recognized stock exchange, including a commodity derivatives exchange, shall not introduce any new segment without the prior approval of the Board.

44D. **Provisions applicable to commodity derivatives exchanges.**

(1) Every commodity derivatives exchange shall comply with the provisions for recognized stock exchanges in these regulations in the manner and within the timelines as specified by the Board:

Provided that-

(a) a commodity derivatives exchange may continue with the existing arrangement for clearing and settlement of trades for a period not exceeding three years from the date of commencement of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2015, and till the functions of clearing and settlement are transferred to a separate clearing corporation, the provisions of sub-regulation (4) of Regulation 7 and Regulations 31, 39

and 44B shall continue to apply to a commodity derivatives exchange, as they apply to a recognized clearing corporation, to the extent that they are applicable;

(b) clause (b) of sub-regulation (1) of Regulation 29 shall not be applicable to a commodity derivatives exchange;

(c) no commodity derivatives exchange shall engage in any activity other than that of assisting, regulating or controlling the business of buying, selling or dealing in commodity derivatives, except with the prior permission of the Board;

(d) every national commodity derivatives exchange shall credit the settlement related penalties to its Settlement Guarantee Fund and other penalties to its Investor Protection Fund and every regional commodity derivatives exchange shall credit all penalties to its Settlement Guarantee Fund till such time as may be specified by the Board.

(2) Every commodity derivatives exchange shall ensure guarantee for settlement of trades including good delivery. "

U. K. SINHA,Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69-ZB/15(202)]

Footnote:

1. The SC(R)(Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on 20th June, 2012 vide F. No. LAD-NRO/GN/2012-13/07/13546.

2. The SC(R) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 were subsequently amended on 2nd September, 2013 by the SC(R)(Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013/14/21/6463.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.